न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1039/2026

(CNR No.UPBH010030872026)

1. सोनू उम्र 35 वर्ष पुत्र इसराइल,

2. नसरूद्दीन उम्र 25 वर्ष पुत्र हबीब,

3. एहसान उम्र 38 वर्ष पुत्र मुबारक,

4. मैनुद्दीन उम्र 22 वर्ष पुत्र हबीब,

5. अरमान उम्र 35 वर्ष पुत्र मुबारक,

निवासीगण–गौर घोसिनपुरवा, दा०–गौर, थाना–हुजूरपुर, जनपद–बहराइच।

---आवेदक/अभियुक्तगण।

बनाम

राज्य उ०प्र०--- ---------अभियोगी।

अपराध संख्या–101/2026,

धारा–103(1),115(2),191(2),

352,351(3),333 बी०एन०एस०,

थाना–हुजूरपुर, जनपद–बहराइच।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

04.06.2026

1. थाना–हुजूरपुर, जनपद–बहराइच के अपराध सं०–101/2026, अन्तर्गत धारा–103(1), 115(2), 191(2), 352, 351(3), 333 बी०एन०एस० में जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध आवेदकगण/अभियुक्तगण सोनू, नसरूद्दीन, एहसान, मैनुद्दीन व अरमान की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी युनूस के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण मैनुद्दीन, अरमान, सोनू, नसरूद्दीन व एहसान का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनाँक–01.05.2026 को निरस्त किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि उसका जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय पर प्रथम है। उनका जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न निरस्त ही है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी सगीर का बड़ा भाई भूरे दिनांक–20.04.2026 को समय करीब 09:45 बजे सुबह जानवर को चारा डालने गया था। विपक्षीगण मुबारक, नसरूद्दीन, मैनुद्दीन, सोनू, तौफीक, मुफीस, एहसान, अरमान, बदले, बब्लू,

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.06.04 19:55:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इदीश, आशिया, आसमा, बुच्चान, आमिर, चन्दा एवं तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात फरसा, बांका तथा लाठी–डण्डा से लैस होकर पुरानी रंजिश को लेकर एकराय होकर उसके भाई भूरे को जान से मारने के लिए दौड़ा लिया। उसका भाई भूरे किसी तरह जान बचाकर अपने घर में घुस गया, तो सभी विपक्षीगण घर में घुस आये और उसके भाई को माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए बांका, फरसा तथा लाठी–डण्डा से मारने–पीटने लगे। उसका भाई अशरफ, भूरे को बचाने आया तो उसे भी मार–पीट कर लहूलुहान कर दिया। विपक्षीगण के मारने–पीटने से भूरे के सिर में काफी गम्भीर चोटें आयी है व भूरे का दाहिना कान कट कर अंग–भंग हो गया है और भूरे मरणासन्न की स्थिति में है। शोर पर अय्यूब, झोथू और गाँव के अन्य लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी और भूरे तथा अशरफ की जान बचायी। विपक्षीगण जाते समय पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

5. वादी सगीर की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–20.04.2026 को समय 18:20 बजे आवेदक/अभियुक्तगण, 09 अन्य सह–अभियुक्तगण एवं 03 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–101/2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(3), 333 बी०एन०एस० के अपराध में थाना–हुजूरपुर में पंजीकृत हुआ। दौरान इलाज मजरूब भूरे की मृत्यु हो जाने के कारण विवेचक द्वारा मामले में धारा–109(1) बी०एन०एस० को धारा–103(1) बी०एन०एस० में तरमीम किया। मामले की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि अभियोजन का केस पूर्णतया गलत है। भूरे पूर्णतया विकलांग था और घर मे ही पड़ा रहता था, वह चलने फिरने योग्य नहीं था। दिनांक–01.03.2025 को सगीर, बन्ने, अली अहमद उर्फ बड़कऊ, अशरफ, मरजीन, अकील, शकीला, राजू, अबरार, शाहिद अली, उस्मान, गोपाल व 4–5 अज्ञात ने दिन मे ही मार–पीटकर आवेदक/अभियुक्त सोनू के पिता इसराइल की हत्या कर दी थी तथा उक्त घटना में अन्य लोगों को भी चोटें आईं। उक्त मुकदमा एस०टी० नम्बर–1107/2025, न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच पर विचाराधीन है। उक्त मुकदमे में आरोप विरचित होने से बचने के लिए पेशी पर अनुपस्थित होते रहे तथा कई बार गैर–जमानतीय वारन्ट होने पर उपस्थित हुए और आरोप विरचित दिनांक–17.04.2025 को हुआ तथा साक्ष्य हेतु तिथि 15.05.2026 नियत है। उक्त मुकदमे के अभियुक्तगण सगीर आदि आवेदक/अभियुक्तगण व उनके परिवार के सदस्यों पर दबाव बना रहे थे कि सुलह कर लो, गवाही मत दो। सुलह की बात सफल न होने पर भूरे को अपने ही घर मे उनको फंसाने के लिए चोटे पहुँचायी और उन पर व अन्य पर फर्जी गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा लिखा दिया गया। बाद मे चोट ज्यादा होने से उसकी मृत्यु हो गयी। आवेदक/अभियुक्तगण अथवा उसके परिवार के लोगों से भूरे से कोई विवाद पहले नही था, न उसे मारने का कोई कारण ही था। वे आपस मे पट्टीदार हैं तथा अन्य सह–अभियुक्तगण भी रिश्तेदार पट्टीदार हैं, जो अलग–अलग रहते हैं। सभी को इस मुकदमे में अभियुक्त बना दिया, जिससे कि प्रथम सूचक व उसके साथियों पर दर्ज मुकदमे में सुलह हो जाये। उनका इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनकी ओर से पुलिस अधीक्षक बहराइच को इस आशय का प्रार्थना–

पत्र भी दिया गया है कि इस प्रकरण मे विशेष जांच करायी जाये। उनका कोई विशेष रोल तथाकथित घटना में नहीं कहा गया है तथा प्रथम सूचना रिर्पोट राय मशविरा कर काफी बिलम्ब के बाद दर्ज करायी गयी है। वे जेल में निरूद्ध हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई।

7. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए संयुक्त रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरुद्ध जमाव कायम करके वादी के भाई भूरे के घर में घुसकर उसको गालियां देते हुए बांका, फरसा व लाठी, डण्डा से मार–पीट कर गम्भीर उपहति कारित, जिसे बचाने हेतु वादी का भाई अशरफ आया, तो उसे भी अभियुक्तगण ने मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा वादी पक्ष को जान से मारने की धमकी दी। चोटहिल भूरे को जिला चिकित्सालय बहराइच में उपचार हुआ, तदोपरान्त उसकी गम्भीर दशा के कारण उसे ट्रामा सेन्टर लखनऊ संदर्भित किया गया, जहाँ दौरान उपचार चोटहिल भूरे की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त पक्ष यह स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उक्त घटना से पूर्व उनकी वादी पक्ष के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे की रंजिश थी। अभियुक्तगण द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। गवाहान ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। मामले की विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की दशा में उनके द्वारा साक्ष्य और साक्षियों को प्रभावित किये जाने, विचारण पर विपरीत प्रभाव डालने एवं जमानत की शर्तों का दुरूपयोग किये जाने की संभावना है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8. केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभियोग है कि उन्होंने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरुद्ध जमाव कायम करके पुरानी रंजिश को लेकर वादी के भाई भूरे को घर में घुसकर बांका, फरसा, लाठी, डण्डा से मार–पीट कर हत्या कारित की तथा उसे बचाने आये वादी के भाई अशरफ को भी मार–पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं वादी पक्ष को जान से मारने की धमकी दी। केस डायरी के साथ संलग्न चिकित्सकीय परीक्षण आख्याओं के अनुसार चोटहिल भूरे के शरीर पर कुल 05 चोटें एवं चोटहिल अशरफ के शरीर पर कुल 02 चोटें आने का उल्लेख है। केस डायरी के पर्चा सं०–7 में विवेचक ने मजरूब भूरे की मृत्यु सूचना का उल्लेख किया है, जिसमें दिनांक–23.04.2026 को रात्रि 11:00 बजे ट्रामा सेन्टर लखनऊ में वादी के भाई भूरे की मृत्यु होने का कथन वादी द्वारा किया गया है। केस डायरी के साथ मृतक भूरे का पंचायतनामा संलग्न है, जिसमें उसके शव का पंचायतनामा दिनांक–24.04.2026 को होने तथा राय पंचान में मृतक भूरे की मृत्यु विपक्षीगण द्वारा मार–पीट कर घायल कर देने से ट्रामा सेन्टर लखनऊ में इलाज के दौरान होने, का उल्लेख किया गया है। केस डायरी के साथ मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न है,

जिसके अनुसार मृतक भूरे के शरीर पर मृत्यु पूर्व 10 चोटें आने तथा मृत्यु पूर्व सिर में आई चोटों से कोमा में जाने के कारण मृत्यु होने का उल्लेख है। केस डायरी के पर्चा सं०–2 में वादी सगीर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्तगण, सह अभियुक्तगण व तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फरसा, बांका, लाठी, डण्डा से रंजिशन जान से मारने की नीयत से भूरे को घर में घुसकर गाली, धमकी देते हुए मारने–पीटने, अशरफ द्वारा भूरे को बचाने पर उसे भी मार–पीट कर लहूलुहान कर देने, भूरे को जिला चिकित्सालय से लखनऊ रेफर कर देने, अशरफ का दवा इलाज भर्ती होकर जिला चिकित्सालय बहराइच में चलने तथा हालत नाजुक बनी होने का अभिकथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–25 में चश्मदीद गवाह अयूब व शकील ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगण द्वारा भूरे व असरफ को बांका, लाठी, डण्डा, धारदार हथियार से गाली–गुप्ता देते हुए मारने–पीटने, उन्हें जान से मारने की धमकी देने, उक्त चोटहिलों को जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर देने, चोटहिल भूरे को ट्रामा सेन्टर लखनऊ रेफर कर देने, विपक्षीगण द्वारा भूरे को बुरी तरफ से मारने–पीटने से दिनांक–24.04.2026 को मृत्यु हो जाने का अभिकथन किया है। केस डायरी के साथ संलग्न फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त नसरूद्दीन की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी बरामद की गई। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। मामले की विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलित होना शेष है। अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान की जाती है, तो वे साक्ष्य और साक्षियों को प्रभावित करेंगे, जिससे मुकदमे के विचारण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

9. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण की जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण सोनू, नसरूद्दीन, एहसान, मैनुद्दीन व अरमान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–101/2026, धारा–103(1), 115(2), 191(2), 352, 351(3), 333 बी०एन०एस०, थाना–हुजूरपुर, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)

दिनाँकः 04.06.2026 **सत्र न्यायाधीश, बहराइच।**

Id.UP02017